प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामप्रसाद बिस्मिल मेमोरियल पब्लिक स्कूल,
मोहल्ला मुगलान,काकोरी, लखनऊ।

पत्रांक-आ0शु/ 5069 /2007-08 दिनांक- 01.08 ,2007

विषय-प्राथमिक स्तर (कक्षा-1 से 5 तक) की अस्थाई मान्यता।

महोदय,

उक्त विषयक के संदर्भ में सूच्य है कि शासनादेश संख्या 984/15069010(7)/89 दिनांक 28 अप्रैल 1998 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर जिला मान्यता समिति लखनऊ द्वारा आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर (कक्षा-1 से 5) तक की अस्थाई मान्यता वर्तमान शिक्षासत्र से निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत नवीनीकृत रहे।
2. प्राभूत/सुरक्षित कोष के निमित्त अपेक्षित धनराशि बैंक/पो0आ0 में जमा एवं अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से बन्धक रहे।
3. विद्यालय का निजी भवन हो एवं प्रत्येक कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण कक्षो/क्रीड़ास्थल की व्यवस्था मानक के अनुसार की जाय।
4. विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की ही नियुक्ति विभाग द्वारा निर्धारित वेतनक्रम में की जाय तथा वेतन भुगतान चेक के माध्यम से किया जाय।
5. अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति एवं निष्कासन से इस कार्यालय की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त की जाय।
6. विद्यालय में आवश्यकतानुसार काष्ठोपकरण/शिक्षण सामग्री/विज्ञान सामग्री/क्रीड़ा सामग्री की व्यवस्था की जाय।
7. विद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अनुकूल शुल्क लिया जाय।
8. शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों का ही प्रयोग किया जाय।
9. विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाय।

विद्यालय को अस्थाई मान्यता उक्त प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जा रही है कि प्रतिबन्धों की पूर्ति कर शासनादेश संख्या 1873/15069818 एस(7)/89 दिनांक 10 सितम्बर 98 के अनुसार (5वर्ष में) स्थाई मान्यता हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करें। मान्यता की किसी भी शर्त अथवा विभागीय आदेशों एवं निर्देशों के उल्लंघन की दशा में मान्यता समाप्त किये जाने का अधिकार विभाग को सुरक्षित होगा।

भवदीय

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

पृ0सं0-आशु0लि0/ /07-08. दिनांक-उक्तवत्।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी,लखनऊ।
2. जिला अल्पसंख्यक अधिकारी,लखनऊ।
3. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,लखनऊ।
4. जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,लखनऊ
5. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी,लखनऊ।
6. नगर शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,लखनऊ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

Manyata

प्रेषक,

सदस्य सचिव, मण्डलीय मान्यता समिति
षष्ठ मण्डल,लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामप्रसाद बिस्मिल मेमोरियल पब्लिक स्कूल
मोहल्ला–मुगलान पोस्ट काकोरी,लखनऊ

पत्रांक–आशु.लि./ 10548 /2007–08 दिनांक–जनवरी 28 ,2008

विषय–अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) अस्थाई मान्यता।

महोदय,

शासनादेश संख्या 646/15–6–97–18(7)/89, दिनांक 13 अगस्त 1997 तथा शासनादेश संख्या–13/79–6–2005–28(10)/05 दिनांक 16.05.2005 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत "मण्डलीय मान्यता समिति" के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को कक्षा–6 से 8 तक अस्थाई मान्यता वर्तमान शिक्षा सत्र से प्रदान की जाती है। साथ ही प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में निहित मानको के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नांकित शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे।

1–प्रधानाध्यापक	एक पद।
2–सहायक अध्यापक	चार पद।
3–लिपिक	एक पद।
4–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक पद।

सहायक अध्यापकों की चार संख्या में एक अध्यापक विज्ञान तथा एक भाषा का होगा। समस्त शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान चेक द्वारा बैंक के माध्यम से उनके खातों में अन्तरण के द्वारा किया जायेगा।

विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापकों पर भविष्य निधि की योजना लागू की जानी चाहिए। उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे।

शासकीय एवं विभागीय आदेशों का पालन न करने की दशा में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को होगा।

भवदीय

25.1.08

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव
मण्डलीय मान्यता समिति,लखनऊ
एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ

पृ0संख्या–एवं दिनांक–उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–अपर शिक्षा निदेशक (बे0)उ0प्र0इलाहाबाद।
2–सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0इलाहाबाद।
3–संयुक्त शिक्षा निदेशक/मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0)लखनऊ।
4–जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक अधिकारी लखनऊ।
5–जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी,लखनऊ।
6–वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा,लखनऊ।
7–उप बे0शि0अ0/क्षेत्रीय स0बे0शि0अ0/नगर शिक्षा अधिकारी लखनऊ।
8–कार्यालय पत्रावली

सदस्य सचिव
मण्डलीय मान्यता समिति,लखनऊ
एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ

Manyata